

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर
(प० चम्पार.1-845107)

(ex.mechval@gmail.com)

पत्रांक- 306

वाल्मीकिनगर

दिनांक 13/02/26

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-(NIQ)-07/2025-26

सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर (जल संसाधन विभाग, विहार, पटना) अन्तर्गत प्रमंडलाधीन

कराये जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक गेटों का सुरक्षात्मक कार्य / नहर के गेटों के सुरक्षात्मक कार्य एवं अन्य सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कॉलम 02 में अंकित अवधि के लिये कॉलम 03 में अंकित बोलेरो/स्कॉर्पियों गाड़ी भाड़े पर रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित की जाती है :-

क्र०सं०	कार्यान्वित अवधि	अदद	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	एकरारनामा की तिथि से 31.03.2027 तक	01 अदद	कार्यपालक अभियंता यांत्रिक, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर हेतु।

उक्त अवधि के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिको/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे बद लिफाफा में दिनांक 24.03.2026 को 3:00 बजे अपराह्न तक सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल वाल्मीकिनगर में जमा की जायेगी और उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

निविदादाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् है :-

1. एकल वाहन स्वामी भी कोटेशन में भाग ले सकते है।
2. भाड़े पर वाहन क्रमांक 02 पर अंकित अवधि तक लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
3. वाहन का मॉडल 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
5. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं विपत्र से नियमानुकूल करों की कटौति अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. वाहन का कागजात टैक्सी बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
7. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
8. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
9. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रतिदिन की दर से ईधन रहित देय होगा।
10. वाहन के उपयोग के लिए लौंग बुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
11. वहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना बताये एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
12. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धत दर के कोटेशनदाता के साथ रुपया 1000 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा और उन्हें वाजन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा ।
13. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

14. बाढ़ अवधि में वाहन का उपयोग दिन एवं रात दोनों समय में किया जाता है। अतः इस अवधि में दो चालक उपलब्ध कराना होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नहीं करेंगे।
16. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से वाहन नहीं जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौति कर ली जायेगी।
17. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 14 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा।
19. शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।
20. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि दिनांक 13.03.2026
21. कोटेशन जमा करने की अवधि दिनांक 24.03.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक।
22. कोटेशन जमा करने का स्थान कार्यापालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के कार्यालय में।
23. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 24-03.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
24. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता कार्यापालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल (मो0 नं0-9953464276) वाल्मीकिनगर
25. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्योहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

विश्वासभाजन
 (ई0 जय किशन)
 कार्यापालक अभियंता,
 सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मीकिनगर।
 13/3/26